2017/00506

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री दुनीचन्द पुत्र बीरबलराम गोदारा निवासी V-24 एम.डी., पी.ओ.रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख), शाखा, बीकानेर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर प्रथम सूचना अपील संख्या 257 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18 .12.17

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 22.08.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर से चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 10814 दिनांक 16.11.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का आंशिक संबंध सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर से संबंधित होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर को पत्र प्रेषित करते हुए आवेदक को सूचित कर दिया गया है। कार्यालय स्तर पर उपलब्ध आंशिक सूचना आवेदक को पत्रांक 9555–9558 दिनांक 22.9.17 एवं पत्रांक 10722 दिनांक 09.12.17 से प्रेषित की जाचुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर ने अपने पत्रांक 754–55 दिनांक 03.11.17 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करदी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, बीकानेर व सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर द्वारा प्रार्थी / अपीलान्ट को प्रेषित की गई सूचना के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रेषित की गई सूचना से संतुष्ट है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर